

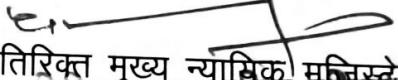
न्यायालय: अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा जिला इंगरपुर

प्रकाशचंद्र बनाम दिपेन्द्र
नियमित दाण्डिक प्र.सं. 374/2019

दिनांक: 18.11.2025

अधिवक्ता परिवादी उपस्थित। अभियुक्त **दिपेन्द्र** के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील मय तस्दीक रिपोर्ट लौटा है। तामील कुनिन्दा उपस्थित। तामील कुनिन्दा सी.डब्ल्यू. 1 **राहुल** के बयान लेखबद्ध किये गये। गिरफ्तारी वारण्ट के साथ प्रस्तुत मौतबिरान रिपोर्ट एवं बयान तामील कुनिन्दा के अनुसार अभियुक्त उनकी सकुनत छोड़ चुका है एवं उसका कोई अता-पता नहीं है तथा निकट भविष्य में भी उसके मिलने की कोई सम्भावना नहीं होना बताया है। अतः उक्त के आधार पर यह न्यायालय सन्तुष्ट है कि अभियुक्त उसकी सकुनत छोड़ चुका है एवं स्वयं को उसके विरुद्ध जारी होने वाले वारण्टों के निष्पादन से बच रहा है एवं फरार हो चुका है। अतः अभियुक्त **दिपेन्द्र** को इस मामले में मफरूर घोषित किया जाता है।

अभियुक्त **दिपेन्द्र** के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे तथा धारा 82-83 द.प्र.सं. की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।


अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला इंगरपुर
सागवाड़ा, जिला इंगरपुर